न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा /130/2015
तारीख रजु 17.12.2015

उनवान

1.शकुंतला पत्नी रमेश जाति जाटव निवासी बड़ का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

------सायला

बनाम

1.सिरमोहर, विजयसिंह, रूपसिंह पिसरान पून्या जाति जाटव निवासी पूठन का पुरा फुलवाडा तहसील हिण्डोन
2.भोलू पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी पूठन का पुरा फुलवाडा तहसील हिण्डौन।

---गैरसायलान (17)

उपस्थितिः–
सायला की ओर से :– श्री मुरारि लाल करसौलिया एडवाकेट।
गैरसायलान की ओर से :– श्री अजय कुमार गर्ग एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र मय मूल दावा ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 309, 327, 310, 326, मौके की स्थिति यथावत बनाए रखने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को बहस हेतु न्याय हित में पार्यप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी बहस नहीं की गई। पत्रावली दिनांक 27.11.2019 को पेश हुई। बार–बार आवाज दिलाई गई परंतु बहस हेतु उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 130/2015 शकुंतला बनाम सिरमोहर वगै. को अदम हाजिरी, अदम पैरवी अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

29.11.19
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2019.12.03 17:15:18 IST
Reason: SelfAttested